



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - उत्तनार झूड़)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 298/25

दायर दिनांक 8.7.9.2025

निर्णय दिनांक 22/07/25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट
1	<u>उत्तनार</u> <u>ब्लाक</u>	<u>187</u>	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>वडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर पट्टाभिरदाकर <u>प. 25</u></p> <p>हस्ताक्षर गिरदाकर <u>श्री प्र. शर्मा</u></p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>कपासन आदेश</p> <p>कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज. भू. रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>उत्तनार ब्लाक</u>. प.ह. <u>उत्तनार झूड़</u> - खतासं. <u>187</u></p> <p>में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनाथ:-

- पटवारी पटवार मण्डल उत्तनार झूड़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन